न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 80/2020, जिला दौसा

1. रामप्रताप पुत्र रामरख
2. धर्मसिंह पुत्र रामरख, जाति गुर्जर निवासी लोहसरी तहसील दौसा जिला दौसा।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दौसा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 14.03.2015 जो अपील नंबर 49/2008 अनुवानी रामप्रताप बनाम राजस्थान सरकार में पारित किया गया है।

उपस्थित—

1. श्री विनोद कुमार विजय, वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अधिवक्ता, वकील रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक —08.08.2022

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 14.03.2015 के खिलाफ प्रा. पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :—

नायब तहसीलदार दौसा ने दिनांक 30.01.2004 को ग्राम लोहसरी के आराजी खसरा नम्बर 316, 313, 277 रकबा 0.09 है0 किस्म जमीन चरागाह पर पत्थर, ढाकरे, पुख्ता दीवार एवं गेहूँ बोकर नाजायज कब्जा करने पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली एवं धारा 91 (6) के तहत कार्यवाही करने का आदेश पारित कर दिया। नायब तहसीलदार दौसा के आदेश दिनांक 30.01.2004 से असंतुष्ट होकर जिला कलक्टर दौसा के यहॉ अपील की गई, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.03.2015 द्वारा खारिज किये जाने पर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा दिनांक 14.03.2015 व नायब तहसीलदार दौसा 30.01.2004 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि पटवारी हल्का की निहायती झूठी रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को समुचित सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह का मौका दिये बिना व बिना कोई स्वतंत्र साक्ष्य लिये बिना व अपीलान्ट के स्पष्ट यह कह देने पर की पटवारी हल्का की अपीलान्ट ने शिकायत की है इस रंजिश की वजह से उसने झूठी रिपोर्ट अपीलान्ट के खिलाफ पेश की है। अपीलान्ट का चरागाह भूमि खसरा नंबर 316, 313, 277 के किसी भी भाग पर कोई कब्जा नहीं है। अपीलान्ट का कब्जा परिवर्तित आबादी भूमि पर है। अपीलान्ट के द्वारा नायब तहसीलदार जी से निवेदन किया कि पटवारी हल्का हमारे खिलाफ है आप किसी सक्षम अधिकारी से जॉच करवाले किन्तु नायब तहसीलदार जी ने अपीलान्ट के कथनो पर विश्वास नहीं करके और विधि विरूद्ध तरीके से अपीलान्ट के आबादी में हो रहे निर्माण को चरागाह में मानकर तथा अपीलान्ट के खिलाफ दिनांक 31.01.2004 को बेदखली व 52 रूपये पैनेल्टी का तथा धारा 91(6) एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही करने का आदेश दे दिया उक्त आदेश के खिलाफ अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर महोदय दौसा के समक्ष अपील पेश की तथा जिला कलेक्टर महोदया दौसा के समक्ष भी उक्त तथ्य उठाये तथा अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट से शपथ पत्र मांगा और लोक अदालत में यह कहा कि जाओ तुम्हारी अपील स्वीकार कर नायब तहसीलदार के निर्णय को निरस्त कर दिया है आगे कोई कब्जा मत करना। अपीलान्ट को उक्त बात कहने पर अपीलान्ट चले गये और पीछे

Scanned by CamScanner

से दिनांक 14.03.2015 की तारीख में अपील को खारिज करने का आदेश लिख दिया जिसकी अपीलान्ट को कतई जानकारी नहीं थी। अपीलान्ट दिनांक 25.09.2017 को निजी कार्य हेतु तहसील दौसा में आये थे तो तहसील दौसा में बाबू ने बताया कि तुम्हारी जिला कलेक्टर की अपील खारिज होकर खारिज के निर्णय की नकल आयी है इसलिये हम कार्यवाही करेंगे। तब अपीलान्ट ने उक्त फैसले की नकल को देखा तो मालूम पडा कि जिला कलेक्टर दौसा ने अपील को दिनांक 14.03.2015 को खारिज करके और फैसले की नकल को तहसील दौसा में भिजवा रखा है तो अपीलान्ट ने जिला कलेक्टर दौसा के यहाँ उक्त निर्णय की नकल हेतु दिनांक 25.09.2017 को आवेदन पत्र पेश किया जिस पर नकल तैयार होकर दिनांक 26.09.2017 को मिली तब सर्वप्रथम उक्त निर्णय की जानकारी हुई इससे पूर्व उक्त निर्णय की कतई जानकारी नहीं थी। इसलिये अब अपील तैयार करवाकर जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश है। दफा 5 कानून मियाद स्वीकार करने की कृपा करें। उनका कहना था कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा दिनांक 14.03.2015 व नायब तहसीलदार दौसा 30.01.2004 को निरस्त किया जावे।

रेस्पोडेन्ट राजकीय अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि दिनांक 30.01.2004 को नायब तहसीलदार दौसा ने अपने आदेश में अंकित किया है कि इस संबंध में पटवारी हल्का ने ऑर्डरशीट पर अंकित किया है कि अपीलांट द्वारा ख0नं0 316 का अतिक्रमण भौतिक रूप से हटा लिया किन्तु शेष अतिक्रमण यथावत है । नायब तहसीलदार दौसा से अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली चाहे जाने पर उन्होनें दिनांक 12.03.2004 द्वारा उक्त वांछित मूल पत्रावली सं0 131/04 थाना प्रभारी कोलवा को धारा 91 (6) के अन्तर्गत एफ.आई.आर. दर्ज कराने हेतु भिजवाया जाना अवगत कराया है। अपीलांट द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया जाने एवं मामला सार्वजनिक हित से जुडा होने के कारण अतिक्रमी के विरूद्ध थाना कोलवा में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के आदेश पारित किये गये हैं। अतः अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलान्ट की अपील खारिज की गई है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी उसे नकल दिनांक 26.09.2017 से प्राप्त होने पर बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किए गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किए जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 30.01.2004 को नायब तहसीलदार दौसा ने अपने आदेश में अंकित किया है कि इस संबंध में पटवारी हल्का ने ऑर्डरशीट पर अंकित किया है कि अपीलांट द्वारा ख0नं0 316 का अतिक्रमण भौतिक रूप से हटा लिया किंतु शेष अतिक्रमण यथावत है। अपीलांट द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाये जाने एवं मामला सार्वजनिक हित से जुडा होने के कारण अतिक्रमी के विरूद्ध धारा 91 (6) के अन्तर्गत थाना कोलवा में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के आदेश पारित किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दौसा एवं जिला कलेक्टर दौसा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 14.03.2015 व नायब तहसीलदार दौसा दिनांक 30.01.2004 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner